

18/07.2022:-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री मोहनलाल द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. धारा 141 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ राजीनाम हो गया है इस कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते। प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत में ही प्रत्याहृत फरमाया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

★  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official